

1. गुरमेल सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 18 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. मनदीप सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 18 बीबी तहसील पदमपुर जरीये मुख्तयारे खास गुरमेल सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 18 बीबी जिला श्रीगंगानगर।

-वादीगण-

वनाम्

1. बलदेव सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 18 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. जसनीत कौर पुत्री बलदेव सिंह पत्नि श्री जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

-प्रतिवादीगण -

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए

निर्णय

दिनांक:- 11/1/20


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 बलदेव सिंह के नाम चक 18 बीबी तहसील पदमपुर में बरूए जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 का खाता सं0 27/27 मुरबा नं0 42/6.325 है0 नहरी मय खाला में से 5.693 है0, खाता सं0 31/33 के मुरबा नं0 49-51 में कुल 2.839 है0 नहरी मय खाला भूमि एवं चक 7 सीसी तहसील पदमपुर में बरूए जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 का खाला सं0 54/16 के मुरबा नं0 53/0.100 है0 नहरी खाता सं0 55/47 के मुरबा नं0 53 में 2.423 है0 नहरी भूमि, खाता सं0 56/50 के मुरबा नं0 67 में 1.582 है0 नहरी भूमि इस प्रकार दोनों चक में कुल 12.637 है0 नहरी मय खाला भूमि दर्ज कागजात राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि में से चक 18 बीबी के मुरबा नं0 42 की 5.693 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 बलदेव सिंह को विरास्तन प्राप्त हुई है। वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 की उक्त भूमि संयुक्त परिवार की विरास्तन सम्पति है। जिसमें वादीगण जन्म से ही हिस्सेदार है। वादीगण विरास्तन सम्पति में से अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1 ने हिस्सा स्वरूप उक्त सम्पति में कछ हिस्सा चक 18 बीबी के

कुमार)  
अधिकारी  
र (राज0)

खाता सं० 27/27 मुरबा नं० 42/6.325 है० नहरी मय खाला में से अपनी 5.693 है० में से वादी गुरमेल सिंह को 1.518 है० व वादी मनदीप सिंह को 1.518 है० भूमि काश्त के लिए दे रखी है। वादीगण उक्त भूमि का खातेदार मालिक घोषित होने के अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। उक्त सम्पत्ति संयुक्त परिवार की विरास्तन सम्पत्ति है। वादीगण ने प्रतिवादी सं० 1 को उक्त अनुसार भूमि अपने नाम करवाने को कहा तो उसने इन्कार कर दिया जो यही वाद का कारण है। उक्त सम्पत्ति जो कि प्रतिवादी सं० 1 के नाम से है प्रतिवादी ने उक्त सम्पत्ति को अन्यत्र किसी को बैचान कर दिया तो वादीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावें। चक 18 बीबी तहसील पदमपुर में बरूए जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 का खाता सं० 27/27 मुरबा नं० 42/6.325 है० नहरी मय खाला में से अपनी 5.693 है० में से वादी गुरमेल सिंह को 1.518 है० व वादी मनदीप सिंह को 1.518 है० भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जावें। प्रतिवादी सं० 1 के विरुद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रतिवादी उक्त भूमि को अन्यत्र रहन बैय करने से बाज व ममनू रहें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि उक्त प्रकरण में वादीगण ने चक 18 बीबी तहसील पदमपुर में बरूए जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 का खाता सं० 27/27 के मुरबा नं० 42/6.325 है० नहरी मय खाला में से 5.693 है० में से वादी गुरमेल सिंह ने 1.518 है० व वादी मनदीप सिंह ने 1.518 है० का खातेदार मालिक घोषित होने का अनुतोष चाहा है। प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पंचायत द्वारा राजीनामा करवा दिया है। अब मिकरान का आपस में कोई विवाद नहीं है। राजीनामा अनुसार यदि उक्त वाद डिक्री कर दिया जावें तो हम सभी सहमत है।


पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण को राजीनामा के आधार पर तहसील पदमपुर के चक 18 बीबी तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 का खाता सं०

  
व कुमार  
जुड अधिकारी  
मपुर (राज०)

फर्द अहकाम  
नियम 26  
पदमपुर

जाति जटसिख के नाम दर्ज भूमि 5.693 है० में से वादी सं० 1 गुरमेल सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख को 1.518 है० व वादी सं० 2 मनदीप सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख को 1.518 है० भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाता है। यदि उक्त भूमि बैंक में रहन दर्ज हो तो खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्से में बदलाव की स्थिति में बैंक से एनओसी जारी होने के बाद निर्णय की पालना की जावे। खातेदारान के हक हिस्से में बदलाव न होने की दशा में संबंधित खातेदार के खाते में बैंक का रहन यथावत दर्ज रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक...1/1/20.....को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
(सुभाष कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
पदमपुर (राज०)

